न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 27/2019

1–गोपालराम नेहरा प्रधानाचार्य व अयक्ष विद्यालय प्रबंध समिति रा0उ0मा0वि0 रींगण तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार लाडनूं, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

2–पटवारी हल्का रींगण, तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 21.03.2018 द्वारा तहसीलदार लाडनूं प्रकरण संख्या 01/18 अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर0एक्ट 1956 बअनुवान सरकार विरूद्ध गोपालराम नेहरा

निर्णय

दिनांकः08.02.21

{1} – मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रींगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा ग्राम रींगण के खसरा नम्बर 264 किस्म गै0मु0औरण रकबा 1.10 बीघा पर डोल लगाकर अतिक्रमण किया हैं। हल्का पटवारी रींगण ने अप्रार्थी को अनाधिकृत रूप से गै0मु0 औरण की भूमि पर कब्जा कर अतिकमण कर लेने से अतिकमी को अतिकमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है। इस पर तहसीलदार लाडनूं ने पटवारी हल्का रींगण व भू0अ0नि0 मीठड़ी की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.01.2018 के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

के तहत दिनांक 18.01.2019 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल0आर.एक्ट 1956 के तहत तलब किया गया। नोटिस वाद तामिल स्वयं अप्रार्थी उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली पर उपलब्ध है तथा जिसके हस्ताक्षर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.03.2018 को उक्त प्रकरण में निर्णय कर अप्रार्थी को खसरा नम्बर 264 कुल रकबा 9.17 बीघा मे से रकबा 1.10 बीघा, किस्म गै0 मु0 औरण पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 0.45 रूपये के 50 गुणा से रूपये 34/– अक्षरे चौंतीस रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 27.04.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 01/18 सरकार जरिये पटवारी हल्का रींगण बनाम गोपालराम नेहरा प्रधानाचार्य अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध सतिति रा0अ0मा0वि0 रींगण में निर्णय दिनांक : 21.03.2018 की सत्यापित फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 01.01.2018 से 21.03.2018 की सत्यापित प्रति, पटवारी हल्का रींगण की मौका रिपोर्ट, अप्रार्थी का जवाब, ग्राम पंचायत रींगण के प्रार्थना पत्र, व जमाबन्दी सवंत 2072 की नकल की प्रति पेश की है।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है अपीलाधीन आदेश उपलबधरिकोर्ड साक्ष्य सबूतो व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी कर पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) – यह है कि अदालत मातहत आदेश जैर अपील अनुचित विधि विरूद्ध बिना मौका देखे,बिना पैमाईश कये, बिना पुराणे रिकोर्ड का वोकन किये तथा अनुचित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया है। जो निरस्त योग्य है। व अपील अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार योग्य हैं।

{2}(4) – यह है कि यह है कि अदालत गातहत द्वारा मौका देखे बिना व खसरा नम्बर 264 की पैमाईश किये बिना पटवारी हल्का व आर0आई0 हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करने में त्रुटि की है।

{2}(5) –यह है कि तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा बिना साक्ष्य बिना किसी पटवारी के साक्ष्य बिना किसी दस्तावेजी सबूत के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(6) – यह है कि दिनांक 01.08.2017 को पटवारी रींगण द्वारा मौका रिपोर्ट की जिसमें पटवारी रींगण ने यह स्पष्ट तथ्य अंकित किया है कि खसरा नम्बर 264/1 रकबा 10 बीघा गैर मुमकीन फिल्ड में हो रहे डोल निर्माण एवं वृक्षरोपण द्वारा हुई शिकायत पर मौके पर पहूँची तो मौके पर डोल निर्माण ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा था तथा मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि हम लोग डोल निर्माण का कार्य वृक्षारोपण एवं वृक्षों की सुराक्षा को लेकर एवं नमी के लिये किया जा रहा है इसके अलावा खेतों में आने जाने के लिए रास्ते छोड़कर डोल दिया जा रहा है वृक्षारोपण के लिये विद्यालय विकास समिति ने प्रस्ताव भी ले रखा है मौके पर आपसी समझाईश से विवाद सुलझा दिया गया एवं मौके पर फर्द बनाई गई उक्त फर्द पर गांव के लगभग सभी मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर है इस रिपोर्ट का भी तहसीलदार महोदय ने कोई गौर नहीं किया जिससे उक्त अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{2}(7) – यह है कि दिनांक 31.12.2017 को हल्का पटवारी रोडू व अनय कर्मियो के साथ ग्राम रींगण के खसरा नम्बर 263,264/1,281,282 का सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान में भी ग्रामवासियों के द्वारा यह बताया गया है कि उक्त डोल का निर्माण वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिये किया गया है एवं ग्रामवासीयों ने यह भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

लिखकर दिया है कि भविष्य में जब भी शाला मैदान की पक्की चार दीवारी बनाई जावेगी वह 10 बीघा रकबा में ही बनाई जावेगी। इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है।

{2}(8) – यह है कि राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य विद्यालय में नरेगा के अन्तर्गत करवाये जाने हेतु ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भेजे गये प्रस्ताव की नकल भी अपीलान्ट द्वारा पेश की गई परन्तु इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं किया।

{2}(9) – यह है कि ग्राम सेवक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया है कि ग्रामवासीयो ने चन्दा करके खेल मैदान का डोला लगवाया है। तथा ग्रामवासी यदि खेल मैदान अथवा प्रर्यावरण रक्षा हेतु पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा हेतु कोई उपाय करते है तो वह किसी भी प्रकार से अतिक्रमण की श्रेणी में नही माना जा सकता इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(10) – वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह बताया की सरपंच पंचायत रींगण व ग्राम पंचायत रींगण के सभी समाजों के लगभग सभी मौजिज व्यक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पेड़ों की सुरक्षा हम ग्रामवासीयों द्वारा की गई है फिर भी ऐसी स्थिति आने क बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रधानाचार्य रा0आदर्श मा0 वि0 रींगण को अतिक्रमी माना जाना उचित नहीं है। जिससे भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का रींगण की रिपोर्ट व भू0अ0निरीक्षक मीठड़ी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ग्राम रींगण के खसरा नम्बर 264 कुल रकबा 9.17 वीघा गै0 मु0 औरण भूमि में से 01.10 हैक्टेयर भूमि को डोल बनाकर कब्जा कर लिया है, जिससे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखली तथा वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये का 50 गुणा 34/– अक्षरे चौंतीस रूपये जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध नोटिस जारी किया वो विधिवतरूप तामिल हुआ है, तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.01.2018 पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

के विरूद्ध की गई 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही बिना जॉच के विधि विरूद्ध की गयी है तथा साक्ष्य हेतु तहसीलदार लाडनूं को दिनांक 22.01.2018 को जवाब भी प्रस्तुत किया जिसमें भी स्पष्ट बताया है कि विद्यालय को आवंटित खेल मैदान भूमि पर चारदीवारी निर्माण एवं खेल मैदानों के विकास हेतु हमने विद्यालय की तरफ से ग्राम पंचायत रींगण को नरेगा के तहत विभागीय निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे थे। अतः खेल मैदान की आवंटित भूमि में चारदीवारी या डोला निमार्ण एवं अन्य विकास कार्य उन्हीं के द्वारा किये जाने थे। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत रींगण से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत को खेल मैदान के विकास हेतु पंचायत की नरेगा मद में राशि भी आवंटित हुई है। अतः विद्यालय या विद्यालय विकास समिति द्वारा किसी प्रकार का औरण भूमि पर डोला निर्माण नहीं करवाया गया एवं नही विद्यालय मद से ऐसा खर्च ही किया गया है क्योकि यह निर्माण एवं खेल मैदान विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है। इस जवाब के प्रत्युत्तर में अधीनस्थ न्यायालय अपने पत्र कमांक 221 दिनांक 9.2.2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रींगण को अप्रार्थी के जवाब के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयीं । ग्राम पंचायत रींगण ने अपनी रिपोर्ट में बताया की राज0उ0मा0वि0 रींगण के खेल मैदान महानरेगा योजना में स्वीकृत है ग्राम वासियों ने खेल मैदान का डोला चन्दा करके स्वयं ने लगवाया है ग्राम पंचायत ने डोला नहीं लगवाया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड व अपीलान्ट प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0रींगण का जवाब व ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का जवाब का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये बिना साक्ष्य सबूतो को देखे ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को सुनवायी का सम्पूर्ण अवसर देकर विधि अनुरूप निर्णय पारित किया जाना था। अपीलान्ट का जवाब व ग्राम सेवक ग्राम, पंचायत रींगण की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध रिर्कोर्ड से साबित होता है कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। विद्यालय को आवंटित खेल मैदान भूमि पर चार दीवारी निर्माण (डोल बनाकर) ग्राम वासियों द्वारा चन्दा इकठा कर किया गया है, जो सचिव, ग्राम पचांयत रींगण ने अपने जवाब में बताया है।

प्रस्ततु प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0म0 औरण की भूमि जो राजकीय भूमि है, पर विद्यालय का कोई नाजायज कब्जा किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं। मुतनाजा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

भूमि पर ग्रामवासियो द्वारा चन्दा इकठा कर चन्दे के पेसो से वक्षो की सुरक्षा हेतु डोल लगाई गयी है, न कि व्यक्तिगत कब्जा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित प्रतीत होता है।

:::: आ दे श ::::

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.03.2018 को निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ कि मुतनाजा भूमि का मौका जॉच कर पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुवे विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(शिशपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांकः 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(शिशपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner